


# न्यायालय श्रीमान् राजस्व मण्डल ग्वालियर म.प्र.

११



फटा ८००६-II-१५

१- राजेन्द्र कुमार पिता लल्लू राम विश्वकर्मा उम्र 45 वर्ष

२- अंकित पिता अरुण कुमार विश्वकर्मा उम्र 19 वर्ष

सभी निवासी सेमरिया थाना तह. सेमरिया जिला रीवा म.प्र.

.....निगरानीकर्तागण

## बनाम

.....गैरनिगरानीकर्ता

शासन म.प्र.

श्री शक्ति आनन्द होम  
द्वारा आज दि १६.१२.२०१५  
प्रस्तुत

१६.१२.१५  
श्वेतक ऑफ कोर्ट  
शासन मण्डल, म.प्र. ग्वालियर

यह निगरानी कलेक्टर रीवा जिला रीवा म.प्र. के प्र.क. २/अ-६८/पुर्न/१५-१६ में पारित आदेश दिनांक ०७.११.२०१५ के विरुद्ध प्रस्तुत की जा रही है।

निगरानी अंतर्गत धारा ५० म.प्र.भू.रा.सं.

1959

मान्यवर,

## निगरानी के आधार निम्नानुसार हैं -

यह कि निगरानी के आधार वर्णित करने के पूर्व प्रकरण को समझने के लिए संक्षिप्त तथ्य दिये जा रहे हैं। जो इस प्रकार हैं कि निगरानीकर्ता क. १ ने तहसीलदार सेमरिया के समक्ष रा.प्र.क. ३८/अ-६८/२०१२-२०१३ प्रस्तुत किया था जिसमें व्यक्त किया गया था ग्राम कोटरा प.ह.सेमरिया तह. सेमरिया की आराजी ख.क. ३५४/१ रक्वा २.२९ ए. जो नगर पंचायत सेमरिया के अंतर्गत है आबादी की भूमि है। उक्त भूमि के अंश भाग  $0.04^{1/2}$  ए. पर निगरानीकर्ता का पैत्रक मकान बना है जिस पर निगरानीकर्ता व उसमें पूर्वाधिकारी का म.प्र.भू.रा.सं. प्रभावशील होने के पूर्व से कब्जा दखल चला आ रहा है। ग्राम पंचायत सेमरिया द्वारा भवन निर्माण हेतु इजाजतनामा क. ५५६ दिनांक २४.०९.१९९६ दियाथा। अतः उसके नाम भूमिस्वामी नामांतरण किया जाय। उक्त आवेदन को तहसील न्यायालय द्वारा दिनांक २८.०२.२०१२ को निरस्त कर दिया। जिससे व्यक्ति 'होकर' निगरानीकर्ता ने माननीय अनुविभागीय अधिकारी सेमरिया के

**न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-गवालियर**

**अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ**

**प्रकरण क्रमांक निगरानी-4006-दो/2015**

**जिला रीवा**

**राजेन्द्र विरुद्ध शासन**

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
05-03-2019	<p>1. प्रकरण प्रस्तुत। आवेदक द्वारा यह कलेक्टर जिला रीवा के प्रकरण क्रमांक 02/अ-68/पुन./2015-16 में पारित आदेश दिनांक 07-11-2015 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 में दिनांक 25-09-2018 को हुए नवीन संशोधन के फलस्वरूप संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण आयुक्त रीवा संभाग रीवा के न्यायालय को अंतरित किया जाता है।</p> <p>2. पक्षकार दिनांक 03-05-2019 को आयुक्त रीवा संभाग रीवा के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हों।</p> 	<p>(आर.के.जैन)</p> <p>संदर्भ 05/3/2019</p>